# जनपद शामली पुलिस

## --सोशल मीडिया सेल शामली--

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक-22.09.2025**

आज दिनांक 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/बाबरी/झिंझाना/कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 05 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1. जाहिद पुत्र नूरा निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ।
2. रविन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
3. साकिर उर्फ अण्डा पुत्र साजिद निवासी मौ0 आलदरम्यान कैराना थाना कैराना जनपद शामली ।
4. सन्दीप उर्फ चूना उर्फ विजय पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली ।
5. रज्जान उर्फ रजनीश पुत्र रणधीरा निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली ।

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 05 मोटर साईकिल बरामदः-**

आज दिनाँक 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 वाहन चोरो को चोरी की गयी 05 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण द्वारा बरामद मोटर साईकिलों को जनपद पानीपत हरियाणा व थाना कैराना क्षेत्र से चोरी करना बताया है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.पिंकेश कुमार पुत्र सरणी निवासी ग्राम शामली-शामला थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.विक्की पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शामली-शामला थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक मोटर साईकिल स्पलेन्डर रजि0 नं0 HR06K1725

2.एक मोटर साईकिल स्पलेन्ड़र बिना नम्बर।

3.एक मोटर साईकिल प्लेटिना बिना नम्बर।

4.एक मोटर साईकिल होण्ड़ा बिना नम्बर।

5.एक मोटर साईकिल स्पलैन्डर बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 राकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0कां0 प्रवीण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.कां0 जितेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.कां0 सत्यनारायण थाना झिंझाना जनपद शामली।

**थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा में दो पक्षों में हुए झगडे में जानलेवा हमला व मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-**

ज्ञात हो कि दिनांक 24.08.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा में दो पक्षो द्वारा एक-दूसरे पर जानलेवा हमला कर मारपीट की घटना कारित की गयी थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 16 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा में दो पक्षों में हुए झगड़े में जानलेवा हमला व मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। झगड़े में वांछित अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.मुजम्मिल उर्फ सागर पुत्र कौशर निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.अफसर पुत्र लियाकत निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0कां0 प्रमेश थाना कैराना जनपद शामली।

3.कां0 निशान्त थाना कैराना जनपद शामली।

4.कां0 आबिद थाना कैराना जनपद शामली।

**<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>**

1.वर्ष 2014 में अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र कुवंरपाल निवासी मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 430/2014 धारा 186/353/427 भादवि व 03 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 22.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना से अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2019 में अभियुक्त मुदासिम पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1035/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 22.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

**<u>साइबर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर थाना, शामली द्वारा 1,33,440/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।</u>**

ज्ञात हो श्री तनवीर आलम पुत्र श्री गजनफर निवासी मौहल्ला कायस्थवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली को कैम्पस शूज की फ्रैंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगो द्वारा 6,96,519/- रुपये की धनराशि ठग ली गयी थी। श्री तनवीर आलम उपरोक्त की तहरीर के आधार पर साइबर थाना शामली पर मु0अ0सं0-04/2024 धारा 406,420 IPC व 66,66D IT ACTपंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी साइबर/थानाभवन श्री जितेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए फ्राड व्यक्ति के बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कराते हुए 1,33,440/- रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी गयी है। पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1,32,000/- रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करायी जा चुकी है। शेष धनराशि के सम्बन्ध में साइबर थाना शामली पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**<u>पुलिस टीम साइबर थानाः-</u>**

1.प्रभारी निरीक्षक श्रीमती सीमा शर्मा, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री संदीप कुमार, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

3.कम्प्यूटर आप0 विकास कुमार, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली।

4.का0 मुनेन्द्र कुमार, साइबर क्राइम थाना जनपद शामली

**थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन एव थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत टयूबवैल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटना में लिप्त हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार-कारतूस, मोटर साईकिल, चोरी किया गया सामान व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामदः-**

ज्ञात हो आज दिनाँक 22.09.2025 को श्री मनसोर पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम मुल्लापुर थाना थानाभवन जनपद शामली के खेत में बनी टयूबवैल/नलकूप से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना थानाभवन पुलिस को उपरोक्त घटना में लिप्त अभियुक्तगण के किसी अन्य घटना को कारित करने हेतु जाने की सूचना प्राप्त हुई।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं चोरी/लूट की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना थानाभवन एवं थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत टयूबवैल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये चोरी की घटना मे लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ग्राम लुहारी के जंगल में चैकिंग की गयी तो मोटर साईकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग की गयी। थानाभवन पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त बाबर पुत्र अकबर निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली को घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त बाबर उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा, 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 मोटर साईकिल डिस्कवर बिना नम्बर प्लेट व जंगल ग्राम मुल्लापुर से चोरी किये गये ट्यूबवैल/नलकूप से सम्बन्धित सामान व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुये है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी थानाभवन भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त बाबर उपरोक्त का 01 साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

पूछताछ का विवरणः- घायल/गिरफ्तार अभियुक्त बाबर उपरोक्त नें पूछताछ पर बताया कि दिनाँक 18/19.09.2025 की रात्रि में ग्राम भनेड़ा जट के जंगल से 04 टयूबवैलो से बिजली के कटआउट, डोरी व केबिल आदि सामान चोरी किया था एवं ग्राम मुल्लापुर के जंगल में बनी टयूबवैल से स्टार्टर की पत्ती व कटआऊट चोरी किये थे।

**नाम व पता गिरफ्तार/घायल अभियुक्तः-**

1.बाबर पुत्र अकबर निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.एक अवैध तमंचा मय 02 खोखा व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक मोटर साईकिल डिस्कवर बिना नम्बर प्लेट।

3.टयूबवैल/नलकूप से चोरी किया गया सामान (केबिल, स्प्रे मशीन आदि)।

4.चोरी में प्रयुक्त किये गये उपकरण।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त बाबर उपरोक्तः-**

1.मु0अ0सं0 44/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 80/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 81/2019 धारा 411/414 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 82/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 286/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 207/2022 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
7.मु0अ0सं0 224/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
8.मु0अ0सं0 225/2022 धारा 414 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
9.मु0अ0सं0 442/2023 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
10.मु0अ0सं0 458/2023 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
11.मु0अ0सं0 29/2024 धारा 379/411 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
12.मु0अ0सं0 36/2024 धारा 380/411/457 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।
13.मु0अ0सं0 46/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।
14.मु0अ0सं0 07/2024 धारा 380/411/427 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
15.मु0अ0सं0 20/2024 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना बाबरी जनपद शामली।
16.मु0अ0सं0 08/2019 धारा 380/457 भादवि थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
17.मु0अ0सं0 336/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना थानाभवन जनपद शामली।
18.मु0अ0सं0 105/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना बाबरी जनपद शामली।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**